लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS-LSBA/Estt/64/18/715 दिनांक: 26.02.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी–सह–राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार।

सेवा में,

सभी **उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष**,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति
बिहार।

विषयः दिनांक 8 मार्च 2018 को विश्व महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में आहूत सम्मेलन में महिला पंचायत प्रतिनिधि – पंचायत समिति/सरपंच/मुखिया को नामित करने के सम्बन्ध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर आई०ई०सी०/बी०सी०सी० गतिविधियों को समायोजित कर कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम है एवं उनके द्वारा स्थानीय स्तर पर खुले में शौच से मुक्त किये जाने के लिये सामाजिक परिर्वतन भी लाया गया है, जो प्रंशसनीय और उदाहरण योग्य है।

इसी क्रम में **पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार**, द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिनांक 8 मार्च 2018 को विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं द्वारा खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु किये प्रयासों को एक पहचान दिये जाने हेतु **"स्वच्छताशक्ति"** सम्मेलन आयोजित किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि आप सभी अपने जिले से दो वैसे **महिला पंचायत प्रतिनिधि – पंचायत समिति/सरपंच या मुखिया को** नामित करते हुये सूची पूर्ण विवरण **(पता/उम्र/आधार नं0 एवं सम्पर्क सूत्र)** के साथ दिनांक 28 फरवरी 2018 तक राज्य कार्यालय को भेजे जाने का कष्ट किया जाये। जिनके द्वारा खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु उदाहरणीय और श्रेष्ठ कार्य किया गया है।

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई द्वारा अनुमोदित प्रतिभागियों के आने–जाने के दौरान होने वाले व्यय का समायोजन स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण के आई0 ई0 सी0 मद से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

26/2/18

(राजीव कुमार सिंह0)

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक– DRDA–सह–सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सुचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विकास आयुक्त, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

26/2/18